

कार्यालय प्रभारी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति, 2014
जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर

क्रमांक :-2014/02

दिनांक :- 14.07.2014

:- विज्ञप्ति :-

बीकानेर जिला न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वर्तमान में रिक्त चल रहे 21 अस्थाई पदों पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे-बैण्ड-PB-I 5200-20200 + ग्रेड पे- 1700/- रुपये प्रतिमाह में उक्त नियमों के नियम 21 व संशोधित आदेश संख्या एफ-14 (1) एफडी (नियम)/2013-आ दिनांक 28.06.2013 के तहत परीक्षा अवधि में 2 वर्ष तक देय समेकित वेतन 5400/- रुपये प्रतिमाह पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दी गई शर्तों व निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। जिनका वर्गानुसार विवरण निम्न प्रकार है -

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या			योग
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	09	07	21

महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। ये रिक्तियां पूर्णतया अस्थाई है। इनकी संख्या प्रशासनिक कारणों से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दो वर्ष की अवधि संतोषप्रद होने पर कार्यकाल बढ़ाया जायेगा एवं नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देय होगा। अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित योग्यता एवं शर्तें लागू होगी :-

1. आयु :-

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/ महिला आदि वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। इस हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2. शैक्षणिक योग्यता :-

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये।

3. शारीरिक योग्यता :-

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय प्रत्याशी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. पेंशन योजना एवं स्थाई परितोषण :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15 (7) एफ.डी.(रूल्स)/97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (8) एफ.डी (रूल्स)/05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत, नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडीकल अटेन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सम्बन्धी सभी नये नियम लागू होंगे।

.....लगातार

5. राष्ट्रीयता :-

आवेदक भारत का नागरिक हो, या नेपाल या भूटान का प्रजानन हो अथवा उक्त नियमों के नियम-11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

6. पात्रता एवं चरित्र :-

आवेदक को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हो एवं 06 माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7. आवेदन-पत्र की अन्तिम तिथि :-

आवेदन-पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांयकाल 05 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। उपरोक्त अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा।

8. सन्तान सम्बन्धी सूचना :-

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 10(3)/कार्मिक/क-2/75/पार्ट -II दिनांक 29.10.04 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन संख्या सामान्य/19/मिस./1245/2004/1816 दिनांक 30.11.2004 के अनुसार दिनांक 01.06.02 या उसके पश्चात् दो या अधिक बच्चे हो, ऐसे आवेदक उक्त पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरुष इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप में प्रार्थना-पत्र के संलग्न करें कि उनके दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

9. नियुक्ति के लिए निरर्हता :-

1. कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नीयां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।
2. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

10 विवाह पंजीयन :-

राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3) कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन-पत्र में अपने पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना होगा तथा जिन आशार्थियों का विवाह 22.05.2006 या

.....लगातार

उसके पश्चात् हुआ है, वे विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत करेंगे तथा दिनांक 22.05.2006 के पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रारूप में (जो भी लागू हो) शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

शपथ-पत्र	
मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती	पुत्री/पुत्र श्री/श्रीमती
..... निवासी शपथपूर्वक बयान
करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री	
..... निवासी	
..... के साथ सम्पन्न हुआ है परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने	
से पूर्व दिनांक को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।	
या	
मेरा विवाह श्रीमती/श्री	
..... निवासी के साथ	
दिनांक को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ	
है।	
या	
मैं अविवाहित हूँ। विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं	
करूंगा/करूंगी।	
या	
मैं विधुर/विधवा हूँ (पत्नी/पति श्री/श्रीमती था।	

11. दोषसिद्ध न होने बाबत -

प्रत्येक आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लंबित है तो उसका विवरण शपथ-पत्र में अंकित करेगा।

शपथ-पत्र	
मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती	पुत्री/पुत्र श्री/श्रीमती
..... निवासी शपथपूर्वक बयान
करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी दण्डित प्रकरण	
लम्बित या संस्थित नहीं है एवं ना ही किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी अपराध के लिए	
दोषसिद्ध ठहराया गया है।	

12. आवेदन-पत्र :-

आवेदन प्रक्रिया:- इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय की वेबसाईट <http://ecourts.gov.in/bikaner> से दिनांक 15.07.2014 से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर, समस्त वांछित सुसंगत सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रभारी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग का नाम का उल्लेख हो। आवेदन के अन्त में दिनांक सहित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका आवेदन में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी :-

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की प्रति।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।

.....लगातार

3. आरक्षण चाहने/आयु में छूट चाहने के इच्छुक अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र।
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण-पत्र।
5. क्रम संख्या 8 के अनुसार अपेक्षित घोषणा। (10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
6. विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा क्रम सं. 10 के अनुसार अपेक्षित शपथ-पत्र (10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
7. क्रम संख्या 11 के अनुसार अपेक्षित शपथ-पत्र (10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
8. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।

12. साक्षात्कार :-

पूर्ण एवं सही आवेदन पत्र वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को प्रातः 11 बजे से इस कार्यालय में लिया जायेगा। साक्षात्कार हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची एवं न्यायालय के सूचना पट्ट पर दिनांक 17.08.2014 को प्रातः 11 बजे चस्पा की जायेगी। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया जावेगा। साक्षात्कार में किसी प्रकार की सिफारिश करने/कराने वाले प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। उसका साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा। जिन प्रमाण-पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जावे, वे मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

s/d

अध्यक्ष/सदस्य

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश
4. जिला कलक्टर, बीकानेर।
5. नियोजन कार्यालय, बीकानेर, जिला बीकानेर।
6. इस न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालय
7. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।
8. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली।

s/d

अध्यक्ष/सदस्य

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर

.....लगातार